



किफायती आवास निधि (एएचएफ)

केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक में किफायती आवास निधि (एएचएफ) की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लक्षित वर्गों के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को उनके वैयक्तिक आवास ऋण के संबंध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी।

योजना का विवरण रा.आ.बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित संस्थाएं रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगी:

1. आवास वित्त कंपनियां,
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
3. शहरी सहकारी बैंक,
4. लघु वित्त बैंक,
5. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां
6. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निम्न ब्याज दरों का अपेक्षित लाभ अंतिम उधारकर्ताओं तक पहुंचे, पीएलआई श्रेणीवार ऑन-लेंडिंग ब्याज दरों को सीमित कर दिया गया है।

जिन दरों पर राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र पीएलआई को उधार देगा एवं एएचएफ के अंतर्गत उस पर ऋण सीमा दिनांक 30-06-2022 तक यथा लागू के अनुसार नीचे दी गई है:

निधि	ब्याज दर (स्थिर)	ब्याज प्रभारण सीमा
एएचएफ (वित्त वर्ष 2020-21)	2.80% प्रति वर्ष	10.343%